

अंतरराज्यीय परिषद

प्रलिस के लयल:

अंतरराज्यीय परिषद, सरकारया आयोग, अनुच्छेद 263

मेन्स के लयल:

अंतरराज्यीय परिषद और मुददे, केंदर-राज्य संबध, अंतरराज्यीय संबध

चरचा में क्यो?

हाल ही में, [अंतरराज्यीय परिषद \(ISC\)](#) का पुनरगठन कया गया है जसमें प्रधानमंत्री अधयकष के रूप में और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और छह केंदरीय मंत्री सदस्य के रूप में होते हैं।

- दस केंदरीय मंत्री अंतरराज्यीय परिषद में स्थायी रूप से आमंत्रतल होंगे।
- सरकार ने अधयकष के रूप में केंदरीय गृह मंत्री के साथ अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समतल का भी पुनरगठन कया है।
 - आंधर प्रदेश, असम, बहलर, गुजरात, महाराष्टर, ओडशल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समतल के सदस्य हैं।

अंतरराज्यीय परिषद:

- पृष्ठभूमल:
 - केंदर सरकार ने केंदर और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने के लयल न्यायमूर्त आर.एस. सरकारया की अधयकषता में वर्ष 1988 में एक आयोग गठतल कया था।
 - [सरकारया आयोग](#) ने भारत के संवधलन के अनुच्छेद 263 के अनुसार परभाषतल अधदलश के अनुसरण में परामर्श करने के लयल एक स्वतंत्र राष्टरीय फोरम के रूप में [अंतरराज्यीय परिषद स्थापतल](#) कयल जाने की महत्त्वपूर्ण सफलशल की थी।
- परचय:
 - अंतरराज्यीय परिषद को राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले ववलदों की जाँच करने और सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों या केंदर एवं एक या अधकल राज्यों के समान हतल वाले वषियों की पडताल तथा वमलरश करने का अधकलर है।
 - यह इन वषियों पर नीतल और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लयल सफलरशलें भी करता है, राज्यों के सामान्य हतल के मामलों पर वचलर-वमलरश करता है, जसल इसके अधयकष द्वारा संदरभतल कया जा सकता है।
 - यह राज्यों के सामान्य हतल के अन्य मामलों पर भी वचलर करता है, जो परिषद के अधयकष द्वारा भेजा गया हो।
 - परिषद की एक वर्ष में कम-से-कम तीन बार बैठक हो सकती है।
 - परिषद की एक स्थायी समतल भी होती है।
- संगठन:
 - अधयकष- प्रधानमंत्री
 - सदस्य- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
 - वधलनसभा वाले केंदरशासतल प्रदेशों के मुख्यमंत्री और वधलनसभा नहीं रखने वाले केंदरशासतल प्रदेशों के प्रशासक तथा राष्ट्रपतल शासन (जम्मू-कश्मीर के मामले में राज्यपाल शासन) के तहत राज्यों के राज्यपाल सदस्य।
 - प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंदरीय मंत्रपरषद में कैबनलिट रैंक के छह मंत्री।

अंतरराज्यीय परिषद के कार्य:

- देश में सहकारी संघवाल को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने के लयल एक मज़बूत संस्थागत ढाँचा तैयार करना तथा नयमतल बैठकें आयोजतल करके परिषद व कषेत्रीय परिषदों को सकरयल करना।

- क्षेत्रीय परिषदों और अंतरराज्यीय परिषद द्वारा केंद्र-राज्य तथा अंतर-राज्य संबंधों के सभी लंबित व उभरते मुद्दों पर विचार करने की सुविधा प्रदान करता है।
- उनके द्वारा प्रस्तुत सफ़ारिशों के कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये एक प्रणाली विकसित करना।

अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति:

परिचय:

- इसकी स्थापना वर्ष 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों के निरंतर परामर्श और प्रसंस्करण के लिये की गई थी।
- इसमें नमिनलखित सदस्य होते हैं: (i) केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में (ii) पाँच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (iii) अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय की सहायता हेतु नौ मुख्यमंत्रियों की एक परिषद।
- यह सचिवालय वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व भारत सरकार के एक सचिव द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

कार्य:

- स्थायी समिति के पास परिषद के विचार के लिये निरंतर परामर्श और प्रक्रिया संबंधी मामले होंगे, केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित सभी मामलों को अंतर-राज्य परिषद में विचार करने से पहले संसाधित करना।
- स्थायी समिति परिषद की सफ़ारिशों पर लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन की नगिरानी भी करती है तथा अध्यक्ष या परिषद द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले पर विचार करती है।

अंतरराज्यीय संबंध को बढ़ावा देने वाले अन्य निकाय:

क्षेत्रीय परिषद:

- क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैं। ये संसद के एक अधिनियम, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किये गए हैं।
- इस अधिनियम ने देश को पाँच क्षेत्रों- उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की।
 - इन क्षेत्रों का निर्माण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया है जिनमें शामिल हैं: देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली और संचार के साधन, सांस्कृतिक व भाषायी संबंध तथा आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की आवश्यकता।
- उत्तर-पूर्वी परिषद: उत्तर-पूर्वी राज्य (i) असम, (ii) अरुणाचल प्रदेश, (iii) मणिपुर, (iv) त्रिपुरा, (v) मिज़ोरम, (vi) मेघालय और (vii) नगालैंड, क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं तथा उनकी विशेष समस्याओं को **उत्तर-पूर्वी परिषद** द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जसि उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित किया गया था।

अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य:

- **संवधान का भाग XIII, अनुच्छेद 301 से 307** भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और मेल-जोल से संबंधित हैं।

अंतरराज्यीय जल विवाद:

- **संवधान का अनुच्छेद 262** अंतरराज्यीय जल विवादों के न्यायनियमन का प्रावधान करता है।
- यह दो प्रावधान करता है:
 - संसद कानून द्वारा किसी भी अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण तथा नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनियमन का प्रावधान कर सकती है।
 - संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि इस तरह के किसी भी विवाद या शिकायत पर सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी अन्य न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

आगे की राह

- यदि अंतर-राज्य परिषद को अंतर-राज्यीय संघर्षों को हल करने के लिये प्राथमिक संस्थान बनना है, तो **उसने पहले नियमित बैठक कार्यक्रम तैयार करना होगा।**
- भारतीय संघ में अभी संस्थागत अंतर है और अंतरराज्यीय संघर्षों के नियंत्रण से बाहर होने से पहले इसे भरने की ज़रूरत है।
- परिषद के पास एक स्थायी सचिवालय भी होना चाहिये जो यह सुनिश्चित कर सके कि **आवधिक बैठकें अधिक उपयोगी हों।**

स्रोत: द हट्टू